


## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट  
मुस्तकिम बनाम सुब्बन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.22	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्य अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.06.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी ख0 सरख्या 602 रकबा 0.05हे0 मे से 1/6 भाग, 285 रकबा 0.92हे0 में से 1/9 भाग, 100 रकबा 0.66हे0, 121 रकबा 0.09हे0, 313/740 रकबा 0.05हे0, 314 रकबा 0.62हे0, 32/733 रकबा 0.24हे0, 334 रकबा 0.13हे0, 388 रकबा 0.59हे0, 403/735 रकबा 0.15हे0, 417/738 रकबा 0.13हे0, 603 रकबा 0.81हे0, 604/741 रकबा 0.16हे0, 608 रकबा 0.13हे0, 625 रकबा 0.33हे0, किता 13 रकबा 4.0900हे0 में से 1/3 भाग, 445 रकबा 0.29हे0, 451 रकबा 0.16हे0, किता 2 रकबा 0.45हे0 मे से 1/6 भाग, 357 रकबा 0.32हे0, 358 रकबा 0.33हे0, 415/1 रकबा 0.30हे0 किता तीन रकबा 0.95हे0 मे से 1/6 भाग, 434 रकबा 0.42हे0, 448 रकबा 0.27हे0, 449 रकबा 0.28हे0, 450 रकबा 0.33हे0 किता चार रकबा 1.30हे0 मे से 1/6 भाग, 641 रकबा 0.23हे0, में से 4/27 हि0, 384 रकबा 0.77हे0 में से 1/18 हि0, 385 रकबा 0.15हे0, 390 रकबा 0.39हे0 किता 2 रकबा 0.54हे0 मे से 1/18 हि0 453 रकबा 0.39हे0 मे से 14/93 हि0, 460 रकबा 0.20हे0, 463 रकबा 0.28हे0 किता दो रकबा 0.48हे0 में से 1/6 हि0, 29 रकबा 0.48हे0, 435 रकबा 0.20हे0, 437 रकबा 0.23हे0, 446 रकबा 0.30हे0, 447 रकबा 0.35हे0, 452 रकबा 0.38हे0, 597 रकबा 0.28हे0, किता 7 रकबा 2.22हे0 मे से 1/6 भाग मुताबिक जमाबन्ददी 2075-2078 वाके ग्राम हुसैपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर पर आगामी पेशी तक रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)

क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए. डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 06.06.22 को पेश हो।

 उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़वास(अलवर)

6-6-22

.....पनावली पेश हुई। पी.ओ. साहब


अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पसारें हैं।

उभयपक्ष के अगि.उप. आधिका दिनांक..... 25-7-22

को पेश हो।

  
रीज्द

22-6-2022

आज प्रार्थना पर वकील प्रार्थी को प्रार्थना पर पेश किया। (हुई)। वकील ने अपना मूलवाद विद्वान् को पेश किया। अतः प्रार्थना पर भी विद्वान् खारिज किया जाता है। प्रार्थना पर फैसला सुमाइती अरु आसक्त मूलवाद रहे। 

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़वास (अलवर)